

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 311(अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23डक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा "द स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, द स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई, 25वां तल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400023" को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ 'द स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई' जो भारत में एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, द्वारा स्थापित एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 65/2007/फा. सं. 197/56/2006/आ.क.ति. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव